(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 679-II/1998 - विरूद्ध आदेश दिनांक 19-1-1998 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 42/1996-97 अपील

लल्लू सिंह पुत्र मोतीराम
कस्वा दवोह तहसील लहार
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

परमानन्द दत्तक पुत्र खचेरे
कस्वा दबोह तहसील लहार
जिला भिण्ड मध्यप्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के0डी0दीक्षित)

आ दे श

(दिनांक 1-2-2016 को पारित)

अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 42/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-1-1998 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसील लहार के अंतर्गत टप्पा दवोह के नायव तहसीलदार के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 169, 190, 110 के तहत आवेदन देकर बताया कि ग्राम रूर की भूमि नंबर 139, 242, 295 कुल किता 3 कुल रकबा 6-793 पर वह मौरूषी कास्तकार है इसलिये भूमिस्वामी घोषित कर नामान्तरण किया जावे । नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 1/अ-46/93-93 दर्ज कर जांच करते हुये आदेश दिनांक 15-7-1994 पारित किया तथा उक्तांकित भूमि पर

अनावेदक परमानंद दत्तक पुत्र खचेरे के स्थान पर आवेदक का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, लहार के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 57/93-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-4-95 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 125/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-95 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि तहसील न्यायालय के प्रकरण की औचित्य एंव बैधानिकता पर विचार कर गुणदोष पर पुनः आदेश पारित किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में पुनः सुनवाई का आदेश दिनांक 30-4-97 पारित किया तथा नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 15-7-94 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरेना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 42/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-1-1998 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 1/अ-46/93-93 में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 169, 190, 110 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन आदेश दिनांक 15-7-1994 से निराकृत कर आवेदक को मौरूषी कृषक के स्वत्व उत्पन्न होने का प्रश्न विनिश्चित करते हुये वाद विचारित भूमि पर नामान्तरण के आदेश दिये हैं । विचार योग्य है क्या नायव तहसीलदार को संहिता की धारा 169 सहपठित

190 के अंतर्गत प्रस्तुत दावे को निराकृत करने के अधिकार हैं ? इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30.4.1997 में निष्कर्ष दिया है कि सांवल तथा अन्य विरूद्ध लक्ष्मीवाई तथा अन्य 1991 रा.नि. 114 में माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है कि संहिता की किसी भी धारा में राजस्व अधिकारी को मौरूषी कृषक के मामलों को विनिश्चत करने का उपबंध नहीं है - सिविल न्यायलय को धारा 190 के दावे को निराकृत करने की अधिकारिता है, जिसके कारण नायव तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ-46/93-93 में पारित आदेश दिनांक 15-7-1994 अधिकारिता-विहीन पाने से अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरेना ने प्रकरण कमांक 42/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-1-1998 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरेना द्वारा प्रकरण कमांक 42/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-1-1998 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर